रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 1973/अग्रहायण 1, 1895
No. 393] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 1973/AGRAHAYANA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 22nd November 1973

S.O. 707(E)/IDRA/73.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 726(E), dated the 27th November, 1972 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951)) declared that the operation of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, or other instruments in force immediately before the publication of the said Order in the Official Gazette to which the industrial undertaking known as Messrs Ganesh Folur Mills Company Limited is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended upto 26th November, 1973 and all rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended upto 26th November, 1973;

Now, therefore, in exercie of the powers conferred by sub-section (1) read with Order should be extended for another one year commencing from the 27th November, 1973;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18 FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto the 26th November, 1974.

[No. 4/12/72-CUC]
D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 1973

का०आ० 707(अ)/आई डी आर ए/73.—यत: केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का आ० 726 (ई), तारीख 27 नवम्बर, 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की थी कि उक्त आदेश के प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों या अन्य लिखतों या उनमें से कि सी का प्रवर्तन, जिसका मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटड नामक औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है या जो उक्त औद्योगिक उपक्रम को लागू हो, 26 नवम्बर, 1973 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएँ और दायित्व 26 नवम्बर, 1973 तक निलम्बित रहेंगे;

और यत: केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जानी चाहिए जो 27 नवम्बर, 1973 से प्रारंभ होगी;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की, उपधारा (2) के साथ पठित, उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 26 नवम्बर, 1974 तक बढ़ाती है।

[सं० 4/12/72-सीयूसी]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973